7

नाबार्ड की पर्यवेक्षी भूमिका

संस्थागत सत्यनिष्ठा को बनाए रखने, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने और वित्तीय व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु वित्तीय संस्थाओं का सुदृढ़ पर्यवेक्षण अत्यंत आवश्यक है. कृषि और ग्रामीण वित्त क्षेत्र की शीर्ष संस्था के रूप में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफ़आई) के पर्यवेक्षण में नाबार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह उत्तरदायित्व केवल दैनंदिन निगरानी तक सीमित न होकर, वित्तीय समावेशन बढ़ाने और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का संस्थागत संवर्धन करने की सक्रिय प्रतिबद्धता दर्शाता है. इसके अतिरिक्त, नाबार्ड अपेक्षित अनुपालन न करने वाले बैंकों के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है और उन्हें सुधारात्मक उपाय अपनाने के लिए सहयोग देता है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिरता बहाल की जा सके और वे दीर्घकालिक रूप से संधारणीय बन सकें.

7.1 नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाएँ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेग्रा बैंक) तथा ग्रामीण सहकारी बैंक (ग्रास बैंक) समग्र ग्रामीण भारत में वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित संस्था होने के नाते नाबार्ड इन संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करता है ताकि इनके द्वारा सभी विनियमों का अनुपालन हो और इनकी वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके. क्षेग्रा बैंकों और ग्रास बैंकों का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है तथा क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अधीन नाबार्ड द्वारा उनका पर्यवेक्षण किया जाता है. नाबार्ड की पर्यवेक्षी गतिविधियों में राज्य सहकारी (रास) बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी (जिमस) बैंकों तथा क्षेग्रा बैंकों के सांविधिक निरीक्षण के साथ-साथ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास (रासकृग्रावि) बैंकों, शीर्ष बुनकर समितियों, विपणन महासंघों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं (जो नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करती हैं) का स्वैच्छिक निरीक्षण भी शामिल है (चित्र 7.1-7.2).

चित्र 7.1: ग्रामीण संस्थागत ऋण संरचना (31 मार्च 2025 की स्थिति में)

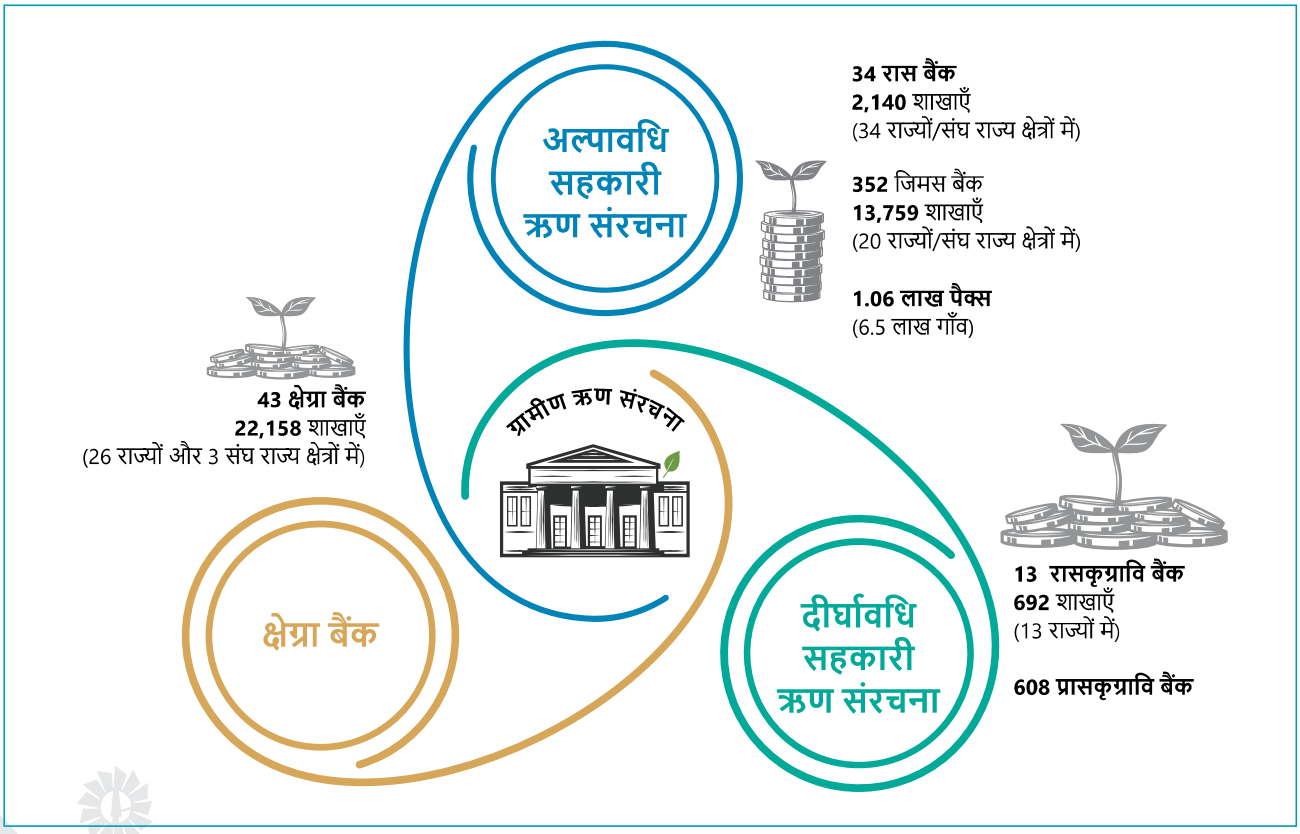

जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समिति, प्रासकृग्रावि बैंक = प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक.

नोट:

1. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार पर्यवेक्षित संस्थाओं की संख्या.
2. पैक्स और प्रासकृग्रावि बैंक सांविधिक अपेक्षा के तहत पर्यवेक्षित संस्थाओं में नहीं आते हैं.
3. 31 मार्च 2025 की स्थिति में पैक्स की संख्या (आँकड़े अनंतिम).
4. 34 रास बैंकों में से, 24 रास बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में अनुसूचित रास बैंक हैं.
5. 352 जिमस बैंकों में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (टीएआईसीओ) शामिल है, जिसे केवल विनियमन और पर्यवेक्षण के उद्देश्यों के लिए जिमस बैंक माना जाता है. मलप्पुरम जिमस बैंक का केरल रास बैंक में विलय हो चुका है, लेकिन मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है.
6. विभिन्न राज्यों की सहकारी ऋण संरचनाओं में भिन्नताएँ हैं. सभी अल्पावधि सहकारी ऋण संरचनाएँ त्रिस्तरीय नहीं हैं, कुछ राज्यों में द्विस्तरीय संरचना भी है..
7. रासकृग्रावि बैंकों (13) की परिचालन प्रकृति के अनुसार उनका वर्गीकरण किया गया है, जो निम्नानुसार है::
   क. एकात्मक (अर्थात् सीधे ऋण देने वाले) (5): गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुदुच्चेरी, त्रिपुरा, और उत्तर प्रदेश;
   ख. संघात्मक (अर्थात् प्रासकृग्रावि बैंकों के माध्यम से ऋण देने वाले) (6): हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु; तथा
   ग. मिश्रित (अर्थात् प्रासकृग्रावि बैंक के माध्यम से तथा सीधे ऋण देने वाले) (2): हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल..
8. दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना
   क. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान इन संस्थाओं पर लागू नहीं हैं.
   ख. उन्हें कम लागत पर जमाएँ उपलब्ध नहीं हैं.
   ग. वे ऋण देने हेतु उधार ली गई निधियों पर अत्यधिक निर्भर हैं.
9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
   क. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं.
   ख. एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (वन स्टेट वन आरआरबी) नीति के तहत दिनांक 01 मई 2025 से भारत में 43 क्षेग्रा बैंकों का विलयन 28 क्षेग्रा बैंकों में कर दिया गया है.
   ग. पुदुच्चेरी, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेग्रा बैंक कार्यरत हैं.
   घ. क्षेग्रा बैंकों की 92% (आँकड़े अनंतिम) शाखाएँ ग्रामीण/ अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.
   ङ. गोवा और सिक्किम राज्यों में कोई क्षेग्रा बैंक नहीं है.

स्रोत:

भारतीय रिज़र्व बैंक (2024), भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, 2023–24, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई. https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0RTP261220247FFF1F49DFC04C508F300904A90C7439.PDF.

चित्र 7.2: वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षण

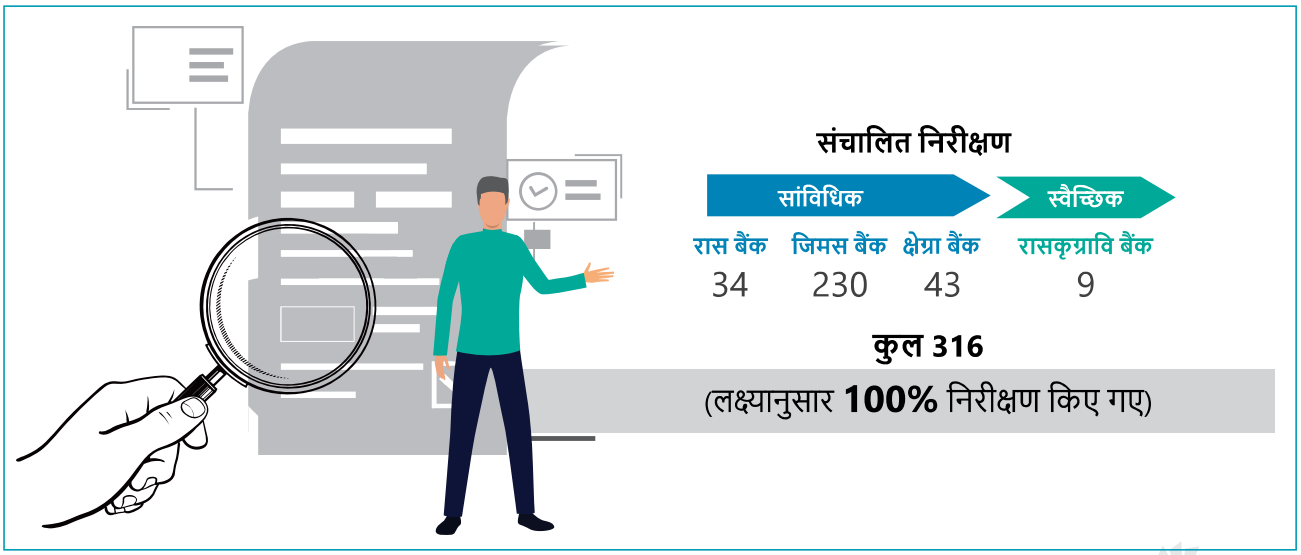

जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रास बैंक= राज्य सहकारी बैंक.

नोट:

1. जिमस बैंकों में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है.
2. 31 मार्च 2024 की स्थिति में जो संस्थाएँ पर्यवेक्षण के अधीन थी उनमें से वित्तीय वर्ष 2025 में निरीक्षण

7.2 वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान पर्यवेक्षण व्यवस्था की प्रमुख घटनाएँ

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड के पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क में उल्लेखनीय विकास हुआ, जिससे ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफ़आई) की सुदृढ़ता और स्थिरता कायम रखने में नाबार्ड की प्रतिबद्धता पुनः प्रमाणित हुई. वर्ष की प्रमुख घटनाओं में विभेदक दृष्टिकोण के साथ उन्नत अर्थात् एन्हेन्स्ड कैमलएससी-आधारित पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल के पूर्ण कार्यान्यवन के साथ-साथ पर्यवेक्षी उपायों में सुधार और पर्यवेक्षित संस्थाओं की क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण हेतु लक्षित पहलें शामिल हैं.[1]

7.2.1 उन्नत कैमलएससी-आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण

उन्नत कैमलएससी (ई-कैमलएससी)-आधारित पर्यवेक्षी मॉडल नाबार्ड की पर्यवेक्षी रणनीति में अहम विकास का परिचायक है. इसे 1 अप्रैल 2023 से व्यापक रूप में लागू किया गया, और यह अंतरिम पर्यवेक्षी दृष्टिकोण जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) फ्रेमवर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है जो और अधिक सुदृढ़ होगा. ई-कैमलएससी में पर्यवेक्षित संस्थाओं के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित पद्धति निर्दिष्ट की गई है जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक - दोनों प्रकार के संकेतकों को शामिल किया गया है. यह समग्र मूल्यांकन इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे किसी संस्था की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की सुदृढ़ता का पता चल सके जो संस्था की सुदृढ़ता का आधार हैं. बैंकों के व्यवसाय आकार के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2025 में 148 बैंकों का निरीक्षण ई-कैमलएससी मॉडल के अंतर्गत किया गया. वर्ष के दौरान इस पद्धति को और अधिक प्रभावी बनाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं..

1. **उन्नत कैमलएससी रेटिंग मॉडल में सुधार**: बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे सतत परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए, ई-कैमलएससी पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल में अप्रैल 2023 में व्यापक संशोधन किया गया. इस सुधार से मॉडल के निष्पादन रेटिंग मानदंडों को समकालीन विधिक, विनियामक तथा पर्यवेक्षी दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया. साथ ही, इससे बैंकिंग परिचालनों के दायरे और उनकी जटिलता में हो रही वृद्धि भी परिलक्षित होती है. संशोधित मॉडल को इस प्रकार संरचित किया गया है कि वह बैंकों की 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के आधार पर उनका मूल्यांकन कर सके.
2. **दबाव परीक्षण संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा**: बड़ी आर्थिक अनिश्चितताओं के वातावरण में, सुदृढ़ दबाव परीक्षण क्षमताओं का होना अत्यावश्यक है. वर्ष के दौरान, बैंकों के मौजूदा दबाव परीक्षण दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई. इसका उद्देश्य बैंक स्तर पर डेटा की उपलब्धता में वृद्धि करना तथा दबाव परीक्षण टेम्पलेट को परिष्कृत करना था ताकि यथार्थपरक दबाव परिदृश्यों का सृजन किया जा सके. इन परिदृश्यों का प्रयोजन बैंक के पोर्टफोलियो में ऋण एक्सपोजर के संभावित बदलावों को दर्शाना है, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी अनुकूलन-क्षमता को मजबूत बनाया का सके.
3. **पर्यवेक्षित संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन नोट**: ई-कैमलएससी पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के अंतर्गत पर्यवेक्षित संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बनी हुई है. इस फोकस को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं को मार्गदर्शन नोट जारी किए गए, जिनमें प्रमुख क्षेत्रों में सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का विवरण दिया गया. ये क्षेत्र हैं - परिचालन जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय निरंतरता योजना, पूँजी प्रबंधन और विशेष रूप से चलनिधि जोखिम प्रबंधन (वित्तीय वर्ष 2025 में अद्यतन मार्गदर्शन के साथ). इस सक्रिय सहयोग का उद्देश्य है पर्यवेक्षित संस्थाओं को प्रभावी जोखिम प्रबंधन पद्धतियाँ स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने में सक्षम बनाना.
4. **क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम**: प्रभावी पर्यवेक्षण में दक्ष मानव संसाधन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान शृंखलाबद्ध रूप से, लक्षित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. ये पहलें ई-कैमलएससी मॉडल के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों पर आधारित थीं, और इन्हें निरीक्षणकर्ता अधिकारियों (आईओ) तथा पर्यवेक्षित बैंकों के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था. मानव पूँजी में इस निवेश का उद्देश्य उन्नत पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की समझ को गहरा करना और उसके प्रभावी अनुप्रयोग को बढ़ावा देना था.

7.2.2 सुपरसॉफ़्ट एप्लिकेशन के माध्यम से निरीक्षण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण

12 जुलाई 2022 को नाबार्ड के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुपरसॉफ़्ट एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया. इसके बाद समस्त सांविधिक निरीक्षण इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 307 बैंकों के सांविधिक निरीक्षण सुपरसॉफ़्ट एप्लिकेशन के माध्यम से किए गए, जिनमें 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 34 राज्य सहकारी बैंक तथा 230 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सम्मिलित हैं.

सुपरसॉफ़्ट 2.0 में सतत सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत, वर्ष के दौरान इसमें निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित कर परिचालन में लाए गए:

1. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा निरीक्षण मॉड्यूल**: यह मॉड्यूल निरीक्षण दलों को क्षेग्रा बैंकों की शाखाओं का निरीक्षण करने और अपनी रिपोर्ट मुख्य दल के साथ साझा करने की सुविधा प्रदान करता है.
2. **निरीक्षण रिपोर्ट संवीक्षा और श्रेणीकरण मॉड्यूल**: यह व्यवस्था नाबार्ड को सुपरसॉफ़्ट प्लेटफॉर्म के भीतर ही निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा करने तथा उसे श्रेणी प्रदान करने की सुविधा देती है.
3. **सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना सुरक्षा (आईटी/ आईएस) जाँच मॉड्यूल**: पर्यवेक्षण विभाग (डॉस) के साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जाँच (सीएसआईटीई) कक्ष द्वारा तैयार इस मॉड्यूल का उपयोग नाबार्ड के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों - दोनों स्तरों पर किया जा सकता है और यह सुपरसॉफ़्ट एप्लिकेशन के माध्यम से आईटी/ आईएस जाँच की सुविधा देता है.
4. **एन्श्योर 2.0 और सुपरसॉफ़्ट एपीआई एकीकरण**: यह एकीकरण दोनों प्लेटफॉर्मों के बीच निर्बाध डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करता है, जिससे मैन्युअल अपलोड की आवश्यकता समाप्त होती है और निरीक्षण प्रक्रिया सरल होती है, साथ ही सुपरसॉफ़्ट में डेटा की गुणवत्ता में भी सुधार होता है.
5. **एमआईएस रिपोर्ट मॉड्यूल**: सुपरसॉफ़्ट के भीतर नौ एमआईएस रिपोर्टों का एक समूह विकसित किया गया है, जिससे निरीक्षण प्रक्रिया (आयोजना और निष्पादन से लेकर प्रेषण और समापन तक) के जारी रहने के दौरान ही निरीक्षण की तत्समय निगरानी की जा सकती है.
6. **सूचना मॉड्यूल**: यह मॉड्यूल उपयोगकर्ताओं को समय पर ईमेल अलर्ट प्रदान करता है, जिससे विलंब को न्यूनतम करके कार्यों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित होता है.
7. **मूवमेंट रजिस्टर मॉड्यूल**: यह सुविधा विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण रिपोर्टों और संबंधित दस्तावेजों के मूवमेंट को ट्रैक करती है, जिससे कार्य निष्पादन की समयबद्धता सुनिश्चित होती है तथा प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ती है.

7.2.3 एफ़एटीएफ़ परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ़एटीएफ़) द्वारा भारत हेतु परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण (एमएल/टीएफ़) सहित अवैध वित्तीय प्रवृत्तियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की गई है. रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि एफ़एएटीएफ़ की अनुशंसाओं पर भारत का तकनीकी अनुपालन उच्च स्तर का है. तदनुसार, भारत को "नियमित अनुवर्ती-कार्रवाई" श्रेणी में रखा गया है, जो एफ़एटीएफ़ द्वारा दी जाने वाली रेटिंग की सर्वोच्च श्रेणी है. जी-20 देशों में केवल यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और भारत को ही यह मान्यता प्राप्त हुई है.

रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार नाबार्ड से यह अपेक्षा की गई है कि वह धन शोधन/ आतंकवाद वित्तपोषण जोखिमों से संबंधित अपनी समझ को लगातार बढ़ाएगा और अपनी पर्यवेक्षी क्षमता को और अधिक सशक्त बनाएगा. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रशिक्षण हेतु पहलें की जाएँगी और भारतीय रिज़र्व बैंक जैसी अन्य विनियामक संस्थाओं के साथ संपर्क बढ़ाया जाएगा.

7.3 अन्य पर्यवेक्षी पहलें

7.3.1 धोखाधड़ी अनुप्रवर्तन और केवाईसी/ एएमएल[2]

धोखाधड़ी अनुप्रवर्तन और समीक्षा को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित नीतिगत निर्देश जारी किए गए:

- पर्यवेक्षित संस्थाओं में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के अनुप्रवर्तन हेतु नीतियाँ.
- पर्यवेक्षित संस्थाओं में केवाईसी, एएमएल, सीएफ़टी/सीपीएफ़ फ्रेमवर्क के अनुप्रवर्तन और जाँच हेतु नीतियाँ.

1. सहयोग और बैठकें
   क) वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों की बैठकें: नाबार्ड ने नई दिल्ली में आयोजित वित्तीय क्षेत्र विनियामकों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया. इन बैठकों में एएमएल सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन की स्थिति, एफ़पीएसी में नाबार्ड को शामिल किए जाने तथा वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफ़आईयू-इंडिया) के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया.
   ख) एफ़पीएसी: नाबार्ड हाल ही में वित्तीय आसूचना एकक-भारत द्वारा स्थापित एफ़पीएसी मंच का सदस्य बना है. इस पहल से एएमएल/सीएफ़टी प्रयासों में संलग्न विभिन्न हितधारकों और एफ़आईयू-इंडिया के बीच सतत समन्वय की सुविधा उपलब्ध हुई है.

ग) वित्तीय आसूचना एकक-भारत के साथ सहमति ज्ञापन: नाबार्ड और एफ़आईयू-इंडिया ने 3 सितंबर 2024 को एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
   i) संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध प्रासंगिक आसूचना और सूचनाओं का आदान-प्रदान;
   ii) पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए संपर्क कार्यक्रमों (आउटरीच प्रोग्राम) और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन; तथा
   iii) त्रैमासिक बैठकों के आयोजन और एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति सहित अन्य उपाय.

2. सीकेवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री जागरूकता: सरसई द्वारा 10 मई 2024 को सिलीगुड़ी, 20 मई 2024 को जबलपुर और 3 जून 2024 को बर्ड, मंगलुरु में सीकेवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर तीन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इन कार्यक्रमों में नाबार्ड के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को केवाईसी, एएमएल और सीएफ़टी अनुपालन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी.

3. साइबर धोखाधड़ी निवारण
   क) वित्तीय क्षेत्र में डिजिटलीकरण के बढ़ते प्रचलन के बीच अवैध धनवाहक (मनी म्यूल्स) के माध्यम से की जा रही साइबर धोखाधड़ियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों को निशाना बनाया जा रहा है.
   ख) इन खतरों से निपटने के लिए, नाबार्ड, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सक्रिय सहयोग कर रहा है. इस संबंध में की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:
      i) साइबर-आधारित धोखाधड़ी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मनी म्यूल खातों के उपयोग के संबंध में जारी एडवाइज़री का क्षेग्रा बैंकों और ग्रास बैंकों में प्रसार करना;
      ii) पर्यवेक्षित संस्थाओं को आई4सी द्वारा संचालित "सस्पेक्ट रजिस्ट्री" में पंजीयन के लिए प्रोत्साहित करना; और
      iii) आई4सी के सहयोग से पर्यवेक्षित संस्थाओं के अधिकारियों के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना, जिनमें चेतावनी संकेतों (अलर्ट) के सृजन और अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई जैसे विषय शामिल हों.

7.3.2 क्षमता निर्माण

बैंक पर्यवेक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए अत्यधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है. अत: निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होता है जिससे वे "संकट की परिस्थितियों में स्पष्ट मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकें" और "पर्याप्त समय पूर्व दबाव संकेतों की पहचान" कर सकें. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान अनेक क्षमता निर्माण पहलों को कार्यान्वित किया गया.

1. वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) कार्यक्रम: राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय (एनबीएससी), लखनऊ द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र्स (सीओएस) के सहयोग से, 4-6 नवंबर 2024 को मुम्बई में नाबार्ड के वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों (एसएसएम) हेतु एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य नाबार्ड में वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों और उनके दलों की क्षमता बढ़ाना था. इस कार्यक्रम में कुल 35 अधिकारियों (26 वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक और प्रधान कार्यालय तथा तकनीकी संस्थाओं से 9 अन्य अधिकारी) ने भाग लिया.
2. कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र्स, भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रशिक्षण कार्यक्रम: वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, नाबार्ड के 54 अधिकारियों ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र्स, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित 32 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया. इन कार्यक्रमों में शामिल विभिन्न विषय थे - पर्यवेक्षण, जोखिम प्रबंधन, डेटा विश्लेषण, अर्थमिति (इकॉनॉमेट्रिक्स), पर्यवेक्षी और अपरिष्कृत (रॉ) डेटा के विश्लेषण हेतु उन्नत विधियों का अनुप्रयोग, अभिशासन, रिपोर्ट लेखन, नेतृत्व, संचार, वित्तीय विवरण और फिनटेक.

7.3.3 शिकायत प्रबंधन प्रणाली

शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) मॉड्यूल को 1 अप्रैल 2022 को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य शिकायतों को क्षेत्रीय कार्यालयों तक निर्बाध रूप से प्रेषित करना, शिकायतों के प्रभावी अनुप्रवर्तन और निस्तारण की व्यवस्था करना तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टों के सृजन में सहयोग प्रदान करना था.

1 अप्रैल 2025 से नाबार्ड द्वारा केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) पोर्टल को पूर्ण रूप से अपनाया गया, ताकि पर्यवेक्षित संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदनों का प्रभावी निस्तारण और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके.

7.3.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रवर्तन विभाग से प्राप्त संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उसके द्वारा विनियमित विभिन्न संस्थाओं में विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उनके खिलाफ प्रवर्तनात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में प्रवर्तन विभाग (ईएफ़डी) की स्थापना की थी. यह विभाग नाबार्ड की पर्यवेक्षित संस्थाओं - अर्थात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों - को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) तथा स्पीकिंग ऑर्डर (एसओ) भी जारी करता है (चित्र 7.3).

चित्र 7.3: वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान की गई प्रवर्तन कार्रवाइयाँ

	क्षेग्रा बैंक	रास बैंक	जिमस बैंक	कुल
जारी एसओ की संख्या	7	6	53	66
अर्थदण्ड (₹ लाख में)	58.9	26	129.2	214.1

जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एसओ = स्पीकिंग ऑर्डर, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक.

7.4 सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा से संबंधित पहलें[3]

पर्यवेक्षित संस्थाओं में साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारी की निगरानी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नाबार्ड में वर्ष 2018 में साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जाँच (सीएसआईटीई) कक्ष की स्थापना की गई थी. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान इस कक्ष द्वारा अनेक पहलें की गईं.

1. सीएसआईटीई के मानव संसाधन में वृद्धि: सीएसआईटीई कक्ष में छह बाह्य सलाहकारों की नियुक्ति की गई. इससे आईटी/आईएस जाँचों का दायरा बढ़ाया गया और पहले से अधिक पर्यवेक्षित संस्थाओं की आईटी/आईएस जाँच की गई, वीआईसीएस विवरणी (रिटर्न) की डेस्क आधारित संवीक्षा की जा सकी, आईटी/आईएस निष्कर्षों के प्रत्युत्तर में पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्टों की जाँच में मदद मिली, समय पर अलर्ट और एडवाइज़री जारी करना संभव हुआ तथा सीएसआईटीई की अन्य महत्वपूर्ण कार्यप्रणालियों के निष्पादन में भी वृद्धि हुई.
2. आईटी/आईएस जाँच का संचालन: पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा अपनी 88वीं बैठक में क्षेग्रा बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों की डिजिटल परिपक्वता तथा भुगतान व्यवस्था के साथ उनके एकीकरण के स्तर के आधार पर उनकी आईटी/आईएस जाँच किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया. इन जाँचों का उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं की संवीक्षा के आधार पर पर्यवेक्षित संस्थाओं के साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क का मूल्यांकन करना है:
   क. आईटी/आईएस और साइबर सुरक्षा नीतियाँ;
   ख. उपयुक्त फ्रेमवर्क की पर्याप्तता;
   ग. संबंधित समितियों की कार्यप्रणाली;
   घ. इकाई वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित साइबर सुरक्षा नियंत्रणों का कार्यान्वयन; और
   ङ. भारतीय रिज़र्व बैंक, एनसीआईआईपीसी, सर्ट-इन और आईडीआरबीटी द्वारा जारी एडवाइज़री और अलर्ट का अनुपालन.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड प्रधान कार्यालय द्वारा 38 पर्यवेक्षित संस्थाओं (20 क्षेग्रा बैंक, 9 रास बैंक और 9 जिमस बैंक) की आईटी/आईएस जाँच की गई. इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 35 जिमस बैंकों की आईटी/आईएस जाँच की गई.

3. साइबर सुरक्षा जागरूकता माह: सीएसआईटीई कक्ष द्वारा अक्टूबर 2024 को साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं:
   क. पर्यवेक्षित संस्थाओं के शीर्ष प्रबंधन (अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ प्रबंध निदेशक) हेतु वेबिनार;
   ख. नाबार्ड प्रधान कार्यालय में विभाग प्रमुखों, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) हेतु साइबर सुरक्षा सत्र;
   ग. सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों हेतु वेबिनार;
   घ. बर्ड, मंगलूरू में पर्यवेक्षित संस्थाओं के सीआईएसओ के लिए एक दिवसीय कार्यशाला;
   ङ. एनबीएससी, लखनऊ में नाबार्ड के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के लिए कार्यशाला;
   च. आईटी/आईएस जाँच के संचालन हेतु एक मार्गदर्शन नोट जारी;
   छ. साइबर सुरक्षा पर डिजिटल सामग्री का प्रसार, जिसमें सम्मिलित हैं:
      i. पर्यवेक्षित संस्थाओं हेतु साइबर सुरक्षा पुस्तिका; और
      ii. पर्यवेक्षित संस्थाओं के कर्मचारियों में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने हेतु 31 दिवसीय चुनौती.

4. साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण: सीएसआईटीई ने कुल 28 वर्चुअल और 3 प्रत्यक्ष साइबर सुरक्षा कार्यशालाओं के लिए संकाय सहयोग प्रदान किया. इनमें से 26 कार्यशालाएँ पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित थीं, जबकि 5 कार्यशालाएँ क्षेत्रीय कार्यालयों में आईटी/आईएस जाँच से संबंधित क्षमता निर्माण हेतु आयोजित की गईं.
5. उच्च-स्तरीय सहभागिता: सीएसआईटीई ने आई4सी, सर्ट-इन और गृह मंत्रालय जैसी एजेंसियों के साथ कुल आठ उच्च-स्तरीय बैठकें कीं, जिससे उसे उभरते साइबर खतरों की अद्यतन जानकारी सुनिश्चित हो सकी. इन बैठकों में सीएसआईटीई के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता से यह परिलक्षित होता है कि नाबार्ड डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और पर्यवेक्षित संस्थाओं की साइबर आघातसह्यता को सुदृढ़ करने के प्रति कटिबद्ध है.
6. पर्यवेक्षित संस्थाओं को साइबर सुरक्षा उपायों को उन्नत करने हेतु जारी एडवाइज़री: पर्यवेक्षित संस्थाओं में साइबर सुरक्षा उपायों को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न परिपत्र परिचालित किए गए, जिनमें प्रमुखतः निम्नलिखित शामिल हैं:
   क. साइबर सुरक्षा जाँच: पर्यवेक्षित संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित रूप से सर्ट-इन द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से अपनी आईटी संरचना, वेबसाइटों और एप्लीकेशनों (एपीआई सहित) की साइबर सुरक्षा जाँच कराएँ - विशेषतः तब जब कोई प्रणालीगत परिवर्तन किया जाए.
   ख. भेद्यता आकलन / पेनिट्रेशन टेस्टिंग (वीए/पीटी): पर्यवेक्षित संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और डीएमज़ेड में रखे एप्लीकेशनों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर भेद्यता आकलन तथा वार्षिक आधार पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्ट-इन द्वारा सूचीबद्ध संगठनों के माध्यम से कराएँ.
   ग. सामान्य प्रेक्षणों को साझा करना: सीएसआईटीई द्वारा की गई आईटी/आईएस जाँचों और वीआईसीएस विवरणी की संवीक्षा से उत्पन्न सामान्य प्रेक्षणों को सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ साझा किया गया.
   घ. साइबर घटनाएँ और चेतावनी संकेत (अलर्ट): वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, कुल 60 साइबर घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई. सीएसआईटीई ने सर्ट-इन, भारत रिज़र्व बैंक और अन्य एजेंसियों द्वारा जारी एडवाइज़री/ अलर्ट के आधार पर पर्यवेक्षित संस्थाओं को 16 अलर्ट/ एडवाइज़री जारी कीं.

7.5 आगे की राह

नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित पर्यवेक्षी प्रक्रियाएँ निर्दिष्ट की गई हैं:

1. क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए एनबीएससी और बर्ड के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यशालाओं और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.
2. एनबीएससी के सहयोग से विकास सहायकों का क्षमता निर्माण किया जाएगा.
3. आईटी/आईएस जाँच का विस्तार कर अधिक पर्यवेक्षित संस्थाओं को इस दायरे में लाया जाएगा; स्तर-1 और स्तर-2 की संस्थाओं की जाँच क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाएगी तथा स्तर-3 और स्तर-4 की संस्थाओं की जाँच प्रधान कार्यालय द्वारा की जाएगी.
4. पर्यवेक्षित संस्थाओं पर लागू साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, आईटी/आईएस जाँच तथा जाँच प्रक्रियाओं से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा.
5. आईटी/ आईएस जाँच मॉड्यूल को स्वचालित बनाया जाएगा.
6. अलर्ट/ संकेत मॉड्यूल को स्वचालित बनाया जाएगा.

नोट

1. कैमलएससी (CAMELSC)- सी = पूँजी पर्याप्तता, ए = आस्ति गुणवत्ता, एम = प्रबंधन, ई = अर्जन, एल = चलनिधि, एस = प्रणाली और नियंत्रण, सी = अनुपालन
2. इस खंड में प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर: एएमएल = धन-शोधन निवारण (एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग), बर्ड = बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, सरसई = भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निमाण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री, सीएफटी = आंतकवाद वित्तपोषण का सामना, सीपीएफ = काउंटर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, एफआईयू-इंडिया = वित्तीय आसूचना एकक-भारत, एफपीएसी = एएमएल/ सीएफ़टी/ सीपीएफ़ में साझेदारी हेतु एफ़आईयू-इंडिया पहल, आई4सी = भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, केवाईसी = अपने ग्राहक को जानो, एमओयू = सहमति ज्ञापन, ग्रास बैंक = ग्रामीण सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक.
3. इस खंड में प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर: एपीआई = एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बर्ड = बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, सर्ट-इन = भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल, सीआईएसओ = मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, सीओई = सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सीएसआईटीई = साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जाँच, सीटीओ = मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, डीएमज़ेड = विसैन्यीकृत क्षेत्र, आई4सी= भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, आईडीआरबीटी = बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान, आईओ = निरीक्षणकर्ता अधिकारी, आईएस = सूचना प्रणाली, आईटी = सूचना प्रौद्योगिकी, एनसीआईआईपीसी = राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, ग्रास बैंक = ग्रामीण सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक, वीआईसीएस = भेद्यता पहचान अनुपालन स्थिति.